संख्या-158 /2025/2634/26-3-2025-1919299

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर 2025

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1222/स0क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/2025-26 दिनांक 23-09-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 45000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 33750.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-80 में भारत सरकार द्वारा कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0 7526.72 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष राज्यांश मिलाकर रू0 11250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है। इसी प्रकार अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-142/2025/2237/26-3-2025-1919299, दिनांक 03.09.2025 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-83 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष **अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नवत एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा

रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235607890600 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 / दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 29-09-2025
16:30:45

भवदीय,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-2685/26-3-2025-1707241

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर 2025

विषय: **वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित एकमुश्त व्यवस्था से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1646/स0क0/ए0टी0एस0-सेल/कार्य योजना(162)/2025-26, दिनांक 30.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक-10.03.2021 (पी0डी0एफ0 संलग्न) एवं दिनांक 14-06-2023 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में आय-व्ययक 2025-26 में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निमित्त अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्ययोजना उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में निम्नवत् बिन्दुओं पर सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

(1) प्रदेश के सभी जनपदों में क्या जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित/संचालित है ?

(2) प्रदेश के कितने जनपदों में एक से अधिक (संख्यावार) जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय स्थापित/ संचालित है, के संबंध में औचित्य सहित विवरण उपलब्ध करायें।

(3) जनपद सीतापुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, महोली-सीतापुर के निर्माण के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-114/2015/आर-110वी.आई.पी./26-3-2015-246 सी0 एम0/2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 के प्रस्तर-3 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुये संगत अभिलेख पी0डी0एफ0 में उपलब्ध करायें।

भवदीय,

Digitally signed by RAJANI KANT PANDEY
Date: 29-09-2025 16:29:27

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव